न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या 87/2017

राजकुमार पुत्र हनुमानदास जाति लखोटिया(महाजन) निवासी वार्ड नं0 11 श्रीविजयनगर तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर । ——अपीलार्थी

बनाम

1. दीपक खुराना पुत्र रामचन्द्र जाति अरोड़ा निवासी वार्ड नं. 6 श्रीविजयनगर तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर हाल आबाद जयपुर ।
2. निर्मलादेवी पत्नी लेखराम जाति अरोड़ा निवासी हनुमानदास लखोटिया की दुकान के पीछे श्रीविजयनगर ।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार श्रीविजयनगर । ——रेस्पोडेन्ट्स

अपील अर्न्तगत धारा 225 रा.का.अ. 1955

विरूद्ध आदेश उपखंड अधिकारी श्रीविजयनगर दिनांक 05.05.2017

उपस्थितिः–

श्री अजय तनेजा अभिभाषक अपीलार्थी

श्री राजीव जग्गा अभिभाषक रेस्पो0

श्री वेदप्रकाश शर्मा, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय **दिनांक** :– 23.04.2018

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थी/रेस्पो. संख्या 1 ने एक प्रार्थना रा0का0अ0 की धारा 251ए के तहत उपखंड अधिकारी श्रीविजयनगर के समक्ष पेश कर कथन किया कि प्रार्थी के नाम से चक 29 जीबी ए के प.न. 174/415 में कि.नं. 1 से 13 में 3.101है0 भूमि है जिस पर प्रार्थी का कब्जा काश्त चला आ रहा है, अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से मु.नं. 64 के कि.न. 13 से 25 में 3.099 है0 भूमि व अप्रार्थी संख्या 2 के नाम से मु.नं. 63 के कि.न. 5, 6, 14 से

23/4/18

16, 19, 24, 25 में 2.024 है0 भूमि है। प्रार्थी को अपनी भूमि में आने जाने हेतु कोई रास्ता नहीं है। वर्तमान में प्रार्थी अप्रार्थी संख्या 1 की भूमि के कि.नं. 20, 21 में रास्ता का प्रयोग कर रहा है इससे पूर्व अप्रार्थी संख्या 2 ने शपथ पत्र पेश कर कि.नं. 15, 16, 25 में रास्ता दे दिया और कब्जा भी दे दिया। प्रार्थी को अपनी भूमि में जाने हेतु कोई रास्ता उपलबध नहीं है। अतः निवेदन है कि अप्रार्थी संख्या 2 की भूमि में कि.नं. 15, 16, 25 प्रत्येक में 8–1/4 फुट अथवा अप्रार्थी संख्या 1 की कृषि भूमि के कि.नं. 20, 21 में 8–1/4 फुट रास्ता स्वीकृत किया जावे। अप्रार्थी संख्या 1 ने जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि कि.नं. 15, 16, 25 में रास्ता स्वीकृत किया जावे तो उसे कोई एतराज नहीं है, कि.न. 20, 21 में रास्ता स्वीकृत नहीं किया जावे।

सुनवाई करने के पश्चात अधी.न्यायालय ने दिनांक 05.05.2017 को प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प.नं. 174/415 के कि.नं. 20, 21 में एक–एक बिस्वा रास्ता स्वीकृत करने के आदेश दिये गये एवं रास्ता में आने वाले भूमि के बदले में चिपती भूमि अथवा डीएलसी की दर से दोगुणा राशि अप्रार्थी सं0 1 को दिलाने के आदेश दिये गये। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलांट ने यह अपील पेश की है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि जब अप्रार्थी संख्या 2 ने रास्ता देने हेतु हलफनामा पेश कर दिया था तो उसी रास्ता को स्वीकृत करना चाहिए था एवं अप्रार्थी संख्या 2 की भूमि में से रास्ता स्वीकृत करने से विवाद खत्म हो जाता है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में अपीलांट व रेस्पो. संख्या 2 की भूमि में से रास्ता की मांग की है एवं रेस्पो. संख्या 2 अपनी भूमि में से रास्ता देने को तैयार थी तो उसी को स्वीकृत करना चाहिए था। अतः निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पो. ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पो. द्वारा अपनी भूमि में से ही रास्ता का प्रयोग किया जा रहा है। रेस्पो. संख्या 2 की भूमि

23/4/18

में रास्ता का कभी प्रयोग नहीं किया है। अपीलांट की दो बीघा भूमि में से रास्ता स्वीकृत है जो रेस्पो. को अपनी भूमि में जाने हेतु सुविधाजनक एवं छोटा रास्ता है जबकि रेस्पो0 संख्या 2 की भूमि तीन बीघा में रास्ता स्वीकृत किया जाता है वह निकटतम नहीं है एवं रेस्पो संख्या 2 की 3 बीघा भूमि में रास्ता जायेगा। इस प्रकार अधी.न्यायालय ने सभी तत्यों को ध्यान में रखते हुए रास्ता स्वीकृत किया है जो उचित है। अतः अपील खारिज की जावे ।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया ।

अपीलांट का मुख्य तर्क यह रहा है कि रेस्पो. सं. 2 ने अपनी भूमि में से रास्ता स्वीकृति करने की सहमति दी हुई है एवं उसी रास्ता को स्वीकृत किया जावे जबकि रेस्पो सं02 की ओर अधी.न्यायालय में कोई उपस्थित नहीं आया ऐसी स्थिति में रेस्पो0 संख्या 2 द्वारा दी गई सहमति की पृष्टि साक्ष्य से नहीं होती है एवं पटवारी रिपोर्ट अनुसार रेस्पो0 कि.न. 20, 21 में रास्ता का प्रयोग कर रहा है । रा.का.अ. की धारा 251 के तहत निकटतम में छोटा रास्ता स्वीकृत किये जाने का प्रावधान है। अधी.न्यायालय ने रास्ता में आने वाली भूमि के बदले में अपीलार्थी को नियमानुसार मुआवजा दिलाने के आदेश दिये गये । अपीलांट ने अपनी अपील में रेस्पो संख्या1 को अपनी भूमि में जाने हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं बताया है। अधी.न्यायालय द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए के विधिक प्रावधानों एवं इसके Aims and object के अनुकूल तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर निर्णय पारित किया गया है जिसमें हस्तक्षेप की गुंजाइश नहीं होने से अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.05.2017 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 23.04.2018 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया

23/4/18

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर